दिनांक 18.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 331/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा बरेली इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में आज दिनांक 18.06.2026 को भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ0प्र0 की मेरठ तथा बरेली इकाइयों द्वारा अलग-अलग स्थानो पर ट्रैप की कार्रवाई की गयी।

1- भ्रष्टाचार निवारण संगठन मेरठ इकाई द्वारा विनोद कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट व थाना सलेमपुर जनपद बुलन्दशहर से चेक भुगतान कराने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक मयंक कुमार अरोरा के नेतृत्व में मण्डी परिसर शिकारपुर, सचिव के आवास के बाहर से **कम्प्यूटर आपरेटर जितेन्द्र कुमार (कृषि उत्पादन मण्डी शिकारपुर बुलन्दशहर)** पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम नरेन्द्रपुर थाना नरसेना जनपद बुलन्दशहर को **10 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

2- भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली इकाई द्वारा सुरेशचन्द्र निवासी सम्राट अशोक नगर नवादा जोगिया थाना बारादरी जनपद बरेली से एनपीएस खाता से भूखण्ड क्रय करने हेतु धन निकासी के आवेदन में रिपोर्ट लगाने व फाइल आगे बढ़ाने के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर निरीक्षक जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में तहसील सदर के कैन्टीन से **संग्रह अमीन जोरावर सिंह (तहसील सदर जनपद बरेली)** पुत्र स्व0 शंकर लाल निवासी अमलोनीपुर थाना व पोस्ट भुता जनपद बरेली को **05 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 18.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 332/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना रायपुर

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 17/18.06.2026 की रात्रि थाना रायपुर, थाना पन्नुगंज, थाना रॉबर्ट्गंज व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सारसोत के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—विकास 2—मेराज कुरैशी घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 3—विजय प्रताप सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विकास थाना रायपुर जनपद सोनभद्र में पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेंज स्तर पर 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त विकास के विरूद्ध जनपद चन्दौली, सोनभद्र के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, सीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना रायपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—विकास निवासी ग्राम झरिया थाना चैनपुर जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार।

2–मेराज निवासी ग्राम झरिया थाना चैनपुर जनपद कैमूर (भभुआ), बिहार।

3–विजय प्रताप निवासी ग्राम हथनी थाना चकरघट्टा जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन आदि।

जनपद कासगंज/थाना को0 कासगंज

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 34 हजार 800 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 17.06.2026 को थाना को0 कासगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी पुल के पास से 03 अभियुक्तों 1–शिवम 2–अजय कुमार 3–कुनाल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 34 हजार 800 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.06.2026 को थाना को0 कासगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना को0 कासगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना को0 कासगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम निवासी ग्राम नंगला कोठी थाना अमांपुर जनपद कासगंज।

2—अजय कुमार निवासी ग्राम उद्दैतपुर थाना बागवाला जनपद एटा।

3—कुनाल निवासी ग्राम उज्जैपुर थाना कोतवाली देहात जनपद एटा।

बरामदगी

1—लगभग 12 लाख 50 हजार रूपये कीमत की चोरी के पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—चोरी के 01 लाख 34 हजार 800 रूपये नगद।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना सैया

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **06 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 इको कार**
- **05 मोबाइल फोन आदि बरामद**

दिनांक 18.06.2026 को थाना सैंया व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम लल्लुपुरा के पास से 06 अभियुक्तों 1—खुशीराम 2—धर्मेन्द्र 3—जीशान 4—रामवरन 5—छोटू 6—सचिन को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 इको कार, 05 मोबाइल फोन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 05.06.2026 की रात्रि थाना सैंया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा इको कार चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सैंया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद इको कार चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सैंया पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—खुशीराम निवासी ग्राम जहानापुर थाना फतेहपुर सीकरी कमिश्नरेट आगरा।

2—धर्मेन्द्र निवासी ग्राम महुआखेडा थाना खेरागढ़ कमिश्नरेट आगरा।

3—जीशान निवासी नयाबास थाना फतेहपुर सीकरी कमिश्नरेट आगरा।

4—रामवरन निवासी ग्राम राजा का पुरा थाना फतेहाबाद कमिश्नरेट आगरा।

5—छोटू निवासी अभुआपुरा थाना किरावली कमिश्नरेट आगरा।

6—सचिन निवासी मोड़ बाई पास थाना फतेहपुर सीकरी कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—चोरी की 06 इको कार।

2—05 मोबाइल फोन आदि।

- **जनपद कौशाम्बी/थाना कोखराज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना कोखराज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजकुमार को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————